

प्रेस नोट सराहनीय कार्य- दिनांक- 01.03.21

थाना पुवायाँ पुलिस को मिली बड़ी सफलता

हत्या के मामले में पंजीकृत अभियोग का 24 घण्टे के अन्दर अनावरण कर

03 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

दिनांक 28.02.2021 मे वादी मुनीश कुमार पुत्र राजाराम निवासी ग्राम मार पो0 व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत द्वारा अपनी बहन शारदा देवी पुत्री राजाराम के संतान न होने के कारण 1- सर्वेश पुत्र बटेश्वर 2-बटेश्वर पुत्र नामालूम 3-मुनीश 4- दुर्वेश पुत्रगण बटेश्वर निवासी गण ग्राम कहमरा थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर मारपीट-गाली गलौज कर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना व जान से मारने की धमकी देने व तांत्रिक देवधर पुत्र हुलास जाति कुश्वाह निवासी ग्राम सेजकला थाना पिसावां जनपद सीतापुर के साथ षड्यन्त्र कर शरीर को चिमटे से जला कर निर्मम हत्या करने के संबंध मे मु0अ0सं0 136/2021 धारा 498A/504/506/508/302/ 3/4 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा हत्या की इस घटना को गम्भीरता से लेते हुए श्री संजीव कुमार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पर्यवेक्षण एवं श्री नवनीत सिंह नायक क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के निर्देशन मे अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम को कडे निर्देश दिये गये।

मुकदमा उपरोक्त मे थाना पुवायां पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मे 24 घण्टे के अन्दर 03 अभियुक्त 1- सर्वेश पुत्र बटेश्वर 2-बटेश्वर पुत्र सुन्दर लाल 3- दुर्वेश पुत्रगण बटेश्वर निवासी गण ग्राम कहमरा थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर को गावं कहमरा से आज दिनांक 01.03.21 को 09.30 बजे गिरफ्तार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- 1- सर्वेश पुत्र बटेश्वर निवासी ग्राम कहमरा थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
- 2- बटेश्वर पुत्र सुन्दर लाल निवासी ग्राम कहमरा थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
- 3- दुर्वेश पुत्रगण बटेश्वर निवासी ग्राम कहमरा थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

अभियुक्त गण का अपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 136/2021 धारा 498A/504/506/508/302/ 3/4 भादवि बनाम सर्वेश आदि 05 नफर
- 2- मु0अ0सं0 230/78 धारा 323/325 भादवि बनाम बटेश्वर

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1- प्रभारी निरीक्षक कुवंर बहादुर सिंह
- 2- उ0नि0 मौ0 मतीन खान
- 3- का0 813 रोहित कुमार
- 4- का0 2344 मोहित

प्रेस नोट सराहनीय कार्य- दिनांक- 01.03.21

अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना पुवायाँ पुलिस की बड़ी कार्यवाही।

जनपद में अपराधों की रोक थाम हेतु पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय श्री एस0 आनन्द के कुशल निर्देशन पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदय श्री संजीव कुमार वाजपेई के निकट पर्यवेक्षण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर श्री नवनीत सिंह नायक के कुशल नेतृत्व में रोक थाम अपराध अभियान में थाना पुवायाँ को मिली सफलता। दिनांक 28.02.21 को थाना हाजा पर चलाये गये रोक थाम अपराध अवैध शराब कसीदगी में शराब बिक्री करते हुए ग्राम पकड़िया हकीम से छत्रपाल पुत्र रामलडयते निवासी ग्राम पकड़िया हकीम थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर मय एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर कच्ची शराब खाम के साथ गिरफ्तार किया गया। जिस पर मु0अ0सं0 138/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

2- विल्डिंग उत्तरी पूर्वी कार्नर वहद काशीराम कालोनी जुआ खेलते हुए 1- ऋषिपाल पुत्र छब्बा लाल निवासी ग्राम गर्वापुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर हाल पता कमरा नं0 04 काशीराम कालोनी थाना पुवाया शाहजहाँपुर उम्र 42 वर्ष 2. वेदप्रकाश पुत्र वद्रीप्रसाद निवासी मो0 काशीराम नगर कस्बा व थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर उम्र 28 वर्ष 3. लालू पुत्र वीरेन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया व माल फड़ 2000 रुपये बरामदगी व जामातालाशी से 6025 रुपये व 52 पत्ते ताश बरामद किये गये व अभियुक्त गण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 137/2021 धारा 13 G ACT पंजीकृत किया गया। तथा रामलीला मैदान सड्डा पर्ची लगा रहे अभियुक्त राजेन्द्र कुमार पुत्र रामदुलारे निवासी मौ0 हरदयाल कूचा कस्वा व थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक सड्डा पर्ची, एक पेन, गत्ता व 480/- रू0 नकद बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- 1- ऋषिपाल पुत्र छब्बा लाल निवासी ग्राम गर्वापुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर
- 2- वेदप्रकाश पुत्र वद्रीप्रसाद निवासी मो0 काशीराम नगर कस्बा व थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर
- 3- लालू पुत्र वीरेन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर
- 4- छत्रपाल पुत्र रामलडयते निवासी ग्राम पकड़िया हकीम थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
- 5- राजेन्द्र कुमार पुत्र रामदुलारे निवासी मौ0 हरदयाल कूचा कस्वा व थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

अभियुक्त गण का अपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 392/08 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम राजेन्द्र

मु0अ0सं0 593/13 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम राजेन्द्र

अभियुक्तगण से बरामदमाल

- 1- 2000 रुपये बरामदगी
- 2- जामातालाशी से 6025 रुपये
- 3- 52 ताश के पत्ते
- 4- एक सड्डा पर्ची, एक पेन, गत्ता व 480/- रू0 नकद बरामद
- 5- 10 लीटर अवैध शराब खाम

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1- प्रभारी निरीक्षक कुवंर बहादुर
- 2- उ0नि0 मौ0 मतीन खान
- 3- का0 813 रोहित कुमार
- 4- का0 2344 मोहित कुमार